पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

अर्जुन यादव उर्फ अर्जुन राय

बनाम

बिहार राज्य

2023 का आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 203

05 मई 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार पांडे)

विचार के लिए मुद्दा

क्या विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को गैर इरादतन हत्या के अपराध में सही रूप से दोषी ठहराया है या नहीं?

हेडनोट्स

भारतीय दंड संहिता- धारा 299, 300, 302, 304 भाग II- हत्या के बराबर न होने वाली गैर इरादतन हत्या बनाम हत्या- मामले के सूचक द्वारा अपील, जो आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप से बरी किए जाने से व्यथित है, लेकिन उसे कम गंभीर अपराध यानी गैर इरादतन हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है, साथ ही आरोपी द्वारा गैर इरादतन हत्या के अपराध में दोषसिद्धि के खिलाफ अपील- आरोपी के खिलाफ आरोप है कि उसने सूचक पर खंजर से दो वार किए, जिनमें से एक अंततः सूचक के जीवन के लिए घातक साबित हुआ- दोषी- अपीलकर्ता की ओर से तर्क यह है कि सूचक (मृतक) की मृत्यु घाव में संक्रमण और मवाद के रूप में नई कारण से हुई है, इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय ने आरोपी को केवल गैर इरादतन हत्या के लिए दोषी ठहराने में कोई त्रुटि नहीं की है।

निर्णय: धारा 299 भा.दं.सं. के स्पष्टीकरण 2 के मात्र अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि जहां मृत्यु शारीरिक चोट के कारण होती है, ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति को मृत्यु कारित करने वाला माना जाएगा, यद्यपि उचित उपचार और कुशल उपचार का सहारा लेकर, मृत्यु को रोका जा सकता था- विद्वान विचारण न्यायालय ने गलती से यह दृष्टिकोण अपनाया कि सूचक के उचित और कुशल

उपचार से मृत्यु को टाला जा सकता था और घाव में संक्रमण और मवाद का बनना मृत्यु का कारण है- इस मामले में, अभियुक्त ने सूचक पर खंजर से दो वार किए- खंजर का एक वार कंधे पर लग सकता था लेकिन यह गर्दन के पास था, सौभाग्य से सूचक के कंधे पर केवल त्वचा की गहरी चोट आई लेकिन दूसरा वार घातक था, यह शरीर के महत्वपूर्ण भाग पर लगा और इसमें कोई संदेह नहीं है कि खंजर के वार शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से किए गए थे, जिसके बारे में अभियुक्त जानता था कि इससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, जिसे चोट पहुंचाई गई थी- ऐसी चोट पहुंचाई जाती है और चोटें प्रकृति के एक सामान्य कारण में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त हैं - अपीलकर्ता का सुचक को मारने का इरादा इस तथ्य से पता चलता है कि उसने दो बार शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से को निशाना बनाते हुए सुचक पर हमला किया- विद्वान विचारण न्यायालय की टिप्पणी है कि यदि उचित और कुशल उपचार होता, तो मौत को टाला जा सकता था, आरोपी को बचाने के लिए नहीं आ सकता- तथ्य यह है कि आरोपी अपने साथ एक खंजर जैसे खतरनाक हथियार ले जा रहा था और उसने दूसरे गांव में सुचक को रोका, उसे चाकू मारा और बार- बार खंजर से वार किया, केवल यह साबित करता है कि आरोपी ने पूर्व- मन की योजना के साथ सुचक को रोका था, उसके पास एक हथियार था, वह रुका, शब्दों का आदान- प्रदान करने में शामिल हुआ, अपना खंजर निकाला, सुचक को चाकू मारा और भाग गया- अभियोजन पक्ष धारा 300 भा.दं.सं. के तहत परिभाषित 'हत्या' का मामला साबित करने में सक्षम है धारा 302 भा.दं.सं. के तहत आरोप की धारा 2- आरोपी की दोषसिद्धि धारा 304 भाग II से धारा 302 भा.दं.सं. में परिवर्तित की गई- दोषसिद्धि के खिलाफ अपील खारिज। (पैरा 27, 51, 52, 55, 57, 59)

न्याय दृष्टान्त

इमरान खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1994 एमपीएलजे 862.....लागू नहीं माना गया।

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता

मुख्य शब्दों की सूची

दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील- अपर्याप्त सजा के विरुद्ध अपील- हत्या- हत्या के बराबर न होने वाली गैर इरादतन हत्या- मृत्यु का निकटतम कारण- मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त शारीरिक चोट- उचित उपायों और कुशल उपचार द्वारा मृत्यु की रोकथाम- शरीर के महत्वपूर्ण भाग पर चोट- मृत्यु का कारण बनने का इरादा- मृत्यु का कारण बनने के लिए प्रकृति के सामान्य कारण में पर्याप्त चोट।

प्रकरण से उत्पन्न

तरैया पी.एस. मामला संख्या 54, 2009 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 675/2009 में पारित किया गया 22.11.2022 का निर्णय और 24.11.2022 का आदेश के विरुद्ध ।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं के लिए: सुश्री निकिता मित्तल, अधिवक्ता; राज्य के लिए: श्री मुकेश्वर दयाल, एपीपी; **उत्तरवादी संख्या 2 के लिए: श्री अंसुल, वरिष्ठ अधिवक्ता**

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट्स बनाया गयाः घनश्याम, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 का आपराधिक अपील (खण्ड पीठ) संख्या 203

थाना से उत्पन्न कांड संख्या-54 वर्ष-2009 थाना-तरैया जिला-सारण

==========

अर्जुन यादव उर्फ अर्जुन राय, पिता स्वर्गीय कामेश्वर राय निवासी गाँव-सीतलपट्टी, थाना- तरैया, जिला-सारण, छपरा।

... ...अपीलार्थी

बनाम

1. बिहार राज्य

2. बैजनाथ सिंह, पिता स्वर्गीय रामचंद्र सिंह, ग्राम निवासी-डुमरी, डाक कार्यालय-डुमरी थाना-तरैया, जिला-सारण।

... ...प्रतिवादियों

==========

के साथ

2023 का आपराधिक अपील (एकल न्यायाधीश) संख्या 119

थाना से उत्पन्न कांड संख्या-54 वर्ष-2009 थाना-तरैया जिला-सारण

==========

बैजनाथ सिंह, पिता स्वर्गीय रामचन्द्र सिंह, निवासी ग्राम-डुमरी, पोस्ट-डुमारी, थाना-तरैया, जिला-सारण।

... ...अपीलार्थी

बनाम

बिहार राज्य

... ... उत्तरवादी

==========

उपस्थिति :-

(2023 के आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 203 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए : सुश्री निकिता मित्तल, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री मुकेश्वर दयाल,सहायक लोक अभियोजक

उत्तरवादी संख्या 2 के लिए : श्री अंसुल, वरीय अधिवक्ता

(2023 का आपराधिक अपील (एकल न्यायधीश) संख्या 119 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री अंसुल, वरीय अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री मुकेश्वर दयाल, सहायक लोक अभियोजक

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार पांडे

कैव निर्णय

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद)

तिथि - 05-05-2025

ये दोनों अपीलें तरैया थाना संख्या 54/2009 (जिसे आगे क्रमशः 'आक्षेपित निर्णय एवं आदेश' कहा जाएगा) से उत्पन्न विद्वान अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश-IX, सारण, छपरा (जिसे आगे 'विद्वान विचारण न्यायालय ' कहा जाएगा) द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 675/2009 में पारित दिनांक 22.11.2022 के निर्णय और दिनांक 24.11.2022 के आदेश के खिलाफ दायर की गई हैं, जो में दिया गया है।

2. आक्षेपित निर्णय द्वारा, विद्वान निचली अदालत ने उत्तरवादी संख्या 2 (सीआर. अपील (डीबी) संख्या 203/2023) को भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में 'भा.दं.सं. ') की धारा 304 भाग II के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया। उत्तरवादी संख्या 2 को भा.दं.सं. की धारा 304 भाग II के अंतर्गत अपराध के लिए पाँच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएँ एक साथ चलेंगी। हालाँकि, विद्वान निचली अदालत ने उत्तरवादी संख्या 2 को भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत आरोप से बरी कर दिया है।

3. सीआर. अपील (डीबी) संख्या 203/2023 में अपीलकर्ता मामले का सूचक है जो आक्षेपित निर्णय से व्यथित है जिसके तहत उत्तरवादी संख्या 2 को धारा 302 भा.दं.सं. के तहत आरोप से बरी कर दिया गया है और उसे एक कम गंभीर अपराध, अर्थात् गैर-इरादतन हत्या, के लिए दोषी ठहराया गया है।

4. सीआर. अपील (डीबी) संख्या 203/2023 के उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा सीआर. अपील (ऐ नया.) संख्या 119/2023, दोषसिद्धि और सजा के विवादित निर्णय को रद्द करने के लिए दायर की गई है।

5. पक्षकारों की सहमति से दोनों अपीलों पर एक साथ सुनवाई की गई है तथा इस सामान्य निर्णय द्वारा उनका निपटारा किया जा रहा है।

<u>अभियोजन का मामला</u>

6. सूचक कामेश्वर राय (अब मृतक/पीड़ित) ने दिनांक 04.06.2009 को लगभग 08:00 बजे रात्रि में रेफरल अस्पताल, तरैया के आपातकालीन वार्ड में दर्ज अपने *फर्दबयान* में आरोप लगाया है कि उसी दिन लगभग 06:30 बजे संध्या में वे अपने पुत्र अर्जुन राय के साथ आटा पिसाकर ग्राम अंधरवारी से अपने घर लौट रहे थे। जब वे राजेन्द्र राय के घर के पास पहुंचे तो इसी बीच तरैया की ओर से एक मोटरसाइकिल आकर राजेन्द्र राय के घर के पास रुकी तथा उसमें से बैजनाथ सिंह नामक व्यक्ति मोटरसाइकिल से उतरा तथा सूचक को जान से मारने की नीयत से उसके पंजरे तथा कंधे में दो बार चाकू से प्रहार किया जिससे वह अचेत होकर गिर पड़ा। इसके बाद उसने सूचक के पुत्र पर भी हमला करने का प्रयास किया जो अपनी जान बचाकर भाग गया। आगे आरोप है कि उक्त बैजनाथ सिंह मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गया। आगे आरोप है कि ग्रामीणों के सहयोग से सूचक को तरैया अस्पताल ले जाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। कथित घटना का कारण पिछली दुश्मनी है।

7. सूचक के उपरोक्त *फर्दबयान* के आधार पर तरैया थाना कांड संख्या 54/2009 दिनांक 04.06.2009 को एकमात्र अभियुक्त बैजनाथ सिंह के विरुद्ध धारा 341, 324 एवं 307 भादवि के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। अनुसंधान पूर्ण होने के पश्चात पुलिस ने बैजनाथ सिंह के विरुद्ध धारा 341, 323, 307 एवं 302 भादवि के अंतर्गत दिनांक 25.09.2009 को आरोप पत्र संख्या 77/2009 दिनांक 25.09.2009 को समर्पित किया। आरोप पत्र समर्पित होने पर विद्वान दंडाधिकारी ने दिनांक 02.10.2009/05.10.2009 के आदेश द्वारा संज्ञान

लिया। दिनांक 05.12.2009 को मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया, जहां सत्र विचारण संख्या 675/2009 पंजीकृत किया गया। दिनांक 21.12.2009 के आदेश के तहत धारा 302 भा.दं.सं. के तहत आरोप तय किए गए।

8. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने दस गवाह पेश किए तथा कुछ दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का पूरा विवरण त्वरित संदर्भ के लिए नीचे दिया जा रहा है:-.

अभियोजन साक्षी की सूची

अ० सा० -1	बिंद्रा राउत
अ० सा०	बहरन राय
अ० सा०	अर्जुन राय (सूचनादाता का पुत्र)
अ० सा०	सुरेंद्र राय
अ० सा०	सभा राय
अ० सा०	सच्चिदानंद सिंह
अ० सा०	डॉ. मुनेश्वर प्रसाद सिंह
अ० सा०	श्री भगवान राय
अ० सा० -9	डॉ. सुरेंद्र प्रसाद सिंह
अ० सा० -10	नाली नारायण चौधरी

अभियोजन प्रदर्श की सूची

प्रदर्श '1'	फरदबेयान पर अर्जुन राय के हस्ताक्षर

प्रदर्श '1/1'	फरदबेयान पर कामेश्वर राय के हस्ताक्षर प्रदर्शित करें।
प्रदर्श '2'	पूरा फरदबेयान
प्रदर्श '3'	शव परीक्षण प्रतिवेदन पर डॉ. एम. पी. सिंह के हस्ताक्षर
प्रदर्श '4'	कामेश्वर राय की चोट प्रतिवेदन
प्रदर्श '5'	कामेश्वर राय की जाँच प्रतिवेदन

9. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को बंद करने के बाद, अभियुक्त के बयान धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज किये गये थे।

10. बचाव में, कोई मौखिक साक्ष्य नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ दस्तावेजी साक्ष्य को बचाव साक्ष्य के रूप में अभिलेख में लाया गया है।

बचाव पक्ष की और से प्रदर्श सूची

प्रदर्श -ए	पी. एम. सी. एच. के अधीक्षक द्वारा न्यायालय न्यायालय को भेजा गया प्रपत्र सं.7778
प्रदर्श -बी	पी. एम. सी. एच. के अधीक्षक द्वारा न्यायालय न्यायालय को भेजा गया दिनांक 17.04.2015 का प्रपत्र सं.6143
प्रदर्श -सी	मृतक का बेड हेड टिकट
प्रदर्श -डी	तरैया थाना कांड सं.17/2010 में दिनांक 29.11.2010 की विरोध याचिका
प्रदर्श-ई	मृतक के इलाज के संबंध में ए.सी.एम.ओ., सदर अस्पताल, छपरा का प्रतिवेदन छपरा

<u>विद्वान विचारण न्यायालय के निष्कर्ष</u>

11. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का विश्लेषण करने के पश्चात पाया कि अभियुक्त-उत्तरवादी संख्या 2 पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप लगाया गया था तथा सूचक-अपीलार्थी ने अपने फर्दबयान में आरोप लगाया था कि अभियुक्त ने चाकू से दो वार किए थे, जिसका समर्थन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक द्वारा जारी किए गए चोट प्रतिवेदन (प्रदर्श-4) से मिलता है। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने यह बयान दिया है कि *गुल्लर* के पेड़ के लिए पैसे के मुद्दे पर सूचक और अभियुक्त के बीच बहस हुई थी, जिसके बाद अभियुक्त ने सूचक को चोट पहुंचाई और उसके बाद उसका इलाज तरैया अस्पताल में कराया गया, जहां से उसे सदर अस्पताल, छपरा रेफर कर दिया गया, जहां घायल का एक्स-रे कराया गया, लेकिन उसे वहां भर्ती नहीं किया गया। बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श-ई से विद्वान विचारण न्यायालय ने पाया कि घायल का इलाज ईश्वर दयाल अस्पताल, पटना में हुआ था और वह ठीक होकर घर लौट आया था। इसके बाद घटना के 40 दिनों के बाद 14.07.2009 को घायल को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया था।

12. विद्वान विचारण न्यायालय ने माना है कि घटना के 50 दिन बाद सुचक की मृत्यु हो गई। मेडिकल ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट में अलग-अलग कारण बताए हैं जो आपस में विरोधाभासी हैं। विद्वान कोर्ट के अनुसार, आरोपी द्वारा किया गया कृत्य धारा 300 भा.दं.सं. के आवश्यक

तत्वों को पूरा नहीं करता है। इन परिस्थितियों में, विद्वान कोर्ट ने आरोपी को धारा 302 भा.दं.सं. के तहत अपराध से बरी कर दिया।

13. उपरोक्त विचारों को ध्यान में रखने के बाद, विद्वान विचारण न्यायालय ने माना कि अभियुक्त ने सूचनादाता (अब मृत) पर खंजर से हमला किया था, जिसके परिणामस्वरूप सूचनादाता की 50 दिनों के बाद मृत्यु हो गई थी। विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त का यह कृत्य भा.दं.सं. की धारा 299 के तहत परिभाषित गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आएगा। विद्वान विचारण न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि खंजर द्वारा हमले का कृत्य स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अभियुक्त को अपनी जानकारी में था कि वह जो कृत्य कर रहा था वह सूचनादाता की मृत्यु का कारण बन सकता है। विद्वान विचारण न्यायालय ने दर्ज किया है कि पी एम सी एच द्वारा जारी शव परीक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श प्रदर्श '3') से ऐसा प्रतीत होता है कि सूचनादाता की मृत्यु संक्रमण और पेट के घाव में मवाद बनने के कारण हुई है।

14. हालांकि, विद्वान विचारण न्यायालय ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष के मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि सूचक (मृतक) ने अपना इलाज ठीक से नहीं करवाया था। भा.दं.सं. की धारा 299 के स्पष्टीकरण 2 का हवाला देते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय ने माना कि यदि सूचक (मृतक) को उचित और कुशल उपचार प्रदान किया गया होता, तो मृत्यु को टाला जा सकता था। विद्वान विचारण न्यायालय ने स्पष्ट रूप से दर्ज किया है कि सूचक (मृतक) की मृत्यु अभियुक्त द्वारा पहुंचाई गई चोट के कारण हुई थी। इन कारणों से, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त

(दं.प्रं.सं. की धारा 304 भाग II के तहत अपराध के लिए उत्तरवादी संख्या 2) को दोषी माना है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को 20,000/- रुपये के जुर्माने के साथ पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में दोषी को तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विचारण न्यायालय ने धारा 428 दं.प्र.सं (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 468) के अनुसार कारावास में पहले से बिताई गई अवधि के समायोजन का लाभ दिया है।

15. धारा 357 ए(3) के अन्तर्गत पीड़िता को मुआवजा देने के बिन्दु पर विद्वान विचारण न्यायालय ने पीड़िता के मामले को बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना, 2014 के अन्तर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सारण, छपरा को समुचित प्रतिकर प्रदान करने हेतु अनुशंसित किया है।

अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुतियाँ

2023 का आपराधिक अपील (खण्ड पीठ) संख्या 203 में

16. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दं.प्र.सं अपील (खण्ड पीठ) संख्या 203/2023 में प्रस्तुत किया है कि रिकॉर्ड पर इस बात के पुख्ता सबूत होने के बावजूद कि उत्तरवादी संख्या 2 ने जानबूझकर चोटें पहुंचाईं, जिसके कारण अंततः सूचक की मृत्यु हो गई, विद्वान विचारण न्यायालय ने उत्तरवादी संख्या 2 को पूरी तरह से अप्रासंगिक और बाहरी विचार पर यह विचार करके बरी कर दिया है कि यदि सूचक को उचित और कुशल उपचार प्रदान किया गया होता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी।

17. विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश के कंडिका '21' में पाया है कि अभियुक्त ने

सूचनादाता पर खंजर से प्रहार किया था और चोट पहुंचाई थी। विद्वान विचारण न्यायालय ने पीएमसीएच प्रतिवेदन में दिखाए गए मृत्यु के कारण को संदर्भित किया है जिसमें कहा गया है कि यह दिल का दौरा पड़ने के कारण हुआ है। विद्वान विचारण न्यायालय ने सदर अस्पताल, छपरा की शव परीक्षण प्रतिवेदन और चिकित्सक की राय पर ध्यान दिया है जिसमें कहा गया है कि मृतक की मृत्यु संक्रमण और मवाद बनने के कारण हुई थी। विद्वान विचारण न्यायालय केवल इसलिए प्रभावित हुआ है क्योंकि मृत्यु मृतक के पेट में हुए घाव में संक्रमण और मवाद बनने के कारण हुई है।

18. यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने धारा 299 भा.दं.सं. की गलत व्याख्या की और इस प्रकार यह माना कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक को उचित उपचार नहीं मिला था और यदि उसका उचित उपचार किया गया होता तो उसकी मृत्यु टाली जा सकती थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय की ऐसी टिप्पणियां पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं और धारा 299 भा.दं.सं. के स्पष्टीकरण 2 के विपरीत हैं।

19. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इस मामले में घटना की तारीख, समय, स्थान और तरीके को अभियोजन पक्ष द्वारा विधिवत सिद्ध किया गया है। विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की कहानी को स्वीकार कर लिया है, लेकिन अभियुक्त को भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत दोषी ठहराने के बजाय, उसे भा.दं.सं. की धारा 304 के खंड II के तहत दोषी ठहराया और 5,000/-रूपये के जुर्माने के साथ केवल पांच वर्ष के सश्रम कारावास की मामूली सजा सुनाई।

20. यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्य के मूल्यांकन में घोर त्रुटि की है। विद्वान विचारण न्यायालय की ओर से भा.दं.सं. की धारा 299 के स्पष्टीकरण 2 और भा.दं.सं. की धारा 300 के अपवादों के बारे में पूरी तरह से गलतफहमी है। विद्वान विचारण न्यायालय ने कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है कि अभियुक्त का सूचनादाता की मृत्यु का कारण बनने का कोई इरादा नहीं था।

21. यह प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त का कृत्य धारा 300 की परिभाषा के अंतर्गत आता है और विद्वान विचारण न्यायालय के पास इसे गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में रखने और फिर अभियुक्त को धारा 304 भा.दं.सं. के भाग II के तहत दोषी ठहराने का कोई कारण नहीं था।

<u>उत्तरवादी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुतियाँ</u>

<u>2023 का आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 203 में</u>

22. श्री अंसुल, विद्वान वरिष्ठ वकील, जो 2023आपराधिक अपील (खण्ड पीठ) संख्या 203 में उत्तरवादी संख्या 2 का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और साथ ही उत्तरवादी संख्या 2 की आपराधिक अपील पर बहस कर रहे हैं। आपराधिक अपील (एकल न्यायाधीश) संख्या 119/2023 में, हालांकि शुरू में यह दलील दी गई थी कि इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा घटनास्थल को विधिवत साबित नहीं किया गया है और सूचक के पुत्र, अर्थात् अर्जुन यादव की घटनास्थल पर और एक प्रत्यक्षदर्शी के रूप में उपस्थिति पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, लेकिन अपने प्रस्तुतीकरण के दौरान जब उनका सामना अभियुक्त द्वारा विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, छपरा, सारण की अदालत में सी 3689/2010 (प्रदर्श 'डी') के तहत दायर विरोध याचिका (प्रदर्श 'डी') में किए गए कथनों से हुआ, जिसमें अभियुक्त ने स्वयं घटना के बारे में बताया है जो

04.06.2009 को 04:00 बजे ग्राम अंधरवारी में घटित हुई थी और सभा राय, पिंटू, बहारन राय, सुनील कुमार राय की उपस्थिति दर्शाई है जिनमें से बहारन राय (पीडब्लू-2) और सभा राय (पीडब्लू-5) ने अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में गवाही दी है और फिर कामेश्वर राय का *फर्दबयान* जो एफआईआर का आधार है जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि घटना के समय उनका बेटा अरुण राय उनके साथ था, उत्तरवादी संख्या 2 के विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस दलील पर जोर नहीं दिया है।

23. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि वह अपने तर्कों को इस सीमा तक सीमित रखेंगे कि इस मामले में उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा पहुंचाई गई कथित चोट मौत का निकटतम कारण नहीं है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने **1994 एमपीएलजे 862** में रिपोर्ट किए गए **इमरान खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य** में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के खंडपीठ के फैसले पर भरोसा किया है, यह प्रस्तुत करने के लिए कि किसी कार्य को मृत्यु का कारण तब कहा जाता है जब मृत्यु स्वयं कार्य के परिणामस्वरूप होती है और कुछ परिणामों से होती है जो आवश्यक रूप से या स्वाभाविक रूप से कार्य से निकलते हैं और उचित रूप से इसके परिणाम के रूप में परिकल्पित होते हैं। इस मामले में उनका कहना है कि परिणामों की श्रृंखला टूट गई क्योंकि सूचक (मृतक) को घटना के 40 दिनों के बाद पीएमसीएच में भर्ती कराया गया था और अंततः संक्रमण और घाव में बने मवाद के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई।

24. उनका कहना है कि एक अप्रत्याशित जटिलता थी जो एक नई शरारत की प्रकृति की होगी और कारण और प्रभाव या कारण संबंध का संबंध

बहुत दूर है। उनका कहना है कि मृत्यु का निकटतम कारण संक्रमण और घाव में मवाद बनना है, इसलिए उत्तरवादी संख्या 2 को धारा 302 भा.दं.सं. के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उनका कहना है कि इस मामले में पीएमसीएच की रिपोर्ट, जो पत्र संख्या 6143 दिनांक 17.04.2015 (प्रदर्श 'बी') के साथ संलग्न है, से पता चलता है कि डॉक्टर ने सूचक के भर्ती होने पर देखा कि यह चाकू से चोट का एक पुराना मामला था, जिसके लिए ईश्वर दयाल अस्पताल में खोजपूर्ण लैपरोटॉमी की गई थी, जहाँ कोलोस्टॉमी की गई थी। डॉक्टर ने कोलोस्टॉमी घाव और घाव के खुलने से ढीले पानीदार मल को निकलते देखा। सूचक (मृतक) लगभग 10 दिनों तक पीएमसीएच में भर्ती रहा। उन्हें निम्नलिखित निष्कर्षों के आधार पर चिकित्सकीय रूप से मृत घोषित कर दिया गया: नाड़ी-अनुपस्थित; रक्तचाप- रिकॉर्ड करने योग्य नहीं; हृदय गति/श्वास गति- सुनाई नहीं दे रही; पुतली- बी/एल फैली हुई और स्थिर; मृत्यु की विधि- कार्डियो पल्मोनरी। गिरफ्तारी।

राज्य की प्रस्तुतियाँ

2023 का आपराधिक अपील (एकल न्यायाधीश) संख्या 119

25. राज्य के विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने 2023 आपराधिक अपील (एकल न्यायाधीश) संख्या 119 का विरोध किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि दोषसिद्धि के आरोपित निर्णय को चुनौती देने का कोई ठोस आधार नहीं है और यह विफल होने योग्य है। विद्वान विचारण न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद संपूर्ण साक्ष्यों की सही ढंग से सराहना की है और पाया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा घटना की तिथि, समय, स्थान और तरीके को विधिवत साबित किया गया है, अभियुक्त को गैर इरादतन हत्या के

अपराध के लिए दोषी ठहराया और उसे 20,000/- रुपये के जुर्माने के साथ पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

26. हमने दोनों अपीलों में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को एक साथ सुना है और राज्य के लिए सहायक लोक अभियोजक को भी सुना है।

27. जैसा कि ऊपर अभिलिखित किया गया है, अपीलों की सुनवाई के दौरान, दंड प्रक्रिया संहिता में दोषी-अपीलार्थी के लिए विद्वान वरीय अधिवक्ता ने वकील। 2023 की आपराधिक अपील (एकल न्यायधीश) संख्या 119 ने घटना के स्थान और प्रत्यक्षदर्शी प्रत्यक्षदर्शी की विश्वसनीयता के संबंध में अपनी दलीलों को छोड़ दिया है और साथ ही विद्वान विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष को भी कि इस मामले में मृत्यु का कारण अभियुक्त द्वारा की गई चोट है, लेकिन 2023 आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं.203 में उत्तरवादी संख्या 2 के रूप में उसकी ओर से बहस करते हुए उक्त अपीलार्थी के विद्वान वरीय अधिवक्ता का एकमात्र तर्क यह है कि सूचनादाता (मृतक) की मृत्यु घाव में संक्रमण और मवाद के रूप में नई रिष्टि के कारण हुई है, इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय ने उत्तरवादी सं. 2 को केवल गैर इरादतन हत्या के लिए दोषी ठहराने और भा.दं.सं. की धारा 304 के खंड ॥ के तहत दंडित करने में कोई त्रुटियां नहीं की है।

28. इस तथ्य के बावजूद कि 2023 का आपराधिक अपील (एकल न्यायाधीश) संख्या 119 में अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और आपराधिक अपील (खण्ड पीठ) संख्या 203/2023 में उत्तरवादी संख्या 2 ने अपने प्रस्तुतिकरण को सीमित कर दिया है, यह न्यायालय रिकॉर्ड पर मौजूद संपूर्ण साक्ष्यों पर गौर करना, उनका पुनः मूल्यांकन करना और स्वयं को संतुष्ट

करना अपना कर्तव्य समझता है कि अभियोजन पक्ष ने सभी उचित संदेहों से परे अपने मामले को विधिवत साबित कर दिया है।

29. हमने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों की जांच की है। बिन्दा राउत (अ. सा.-1) घटना का चश्मदीद गवाह है। वह अंधरवारी गांव का निवासी है। उसने कहा है कि वह अपने घर में था, जब कामेश्वर राय (मृतक) आटा पीसकर आ रहा था और बैजनाथ सिंह भी वहां पहुंचा। उसका बेटा भी उसके साथ था। इस साक्षी ने अपने घर के सामने किसी झगड़े की बात नहीं कही है। उसने कहा है कि बैजनाथ सिंह ने कामेश्वर राय के पेट पर दाहिने हिस्से में खंजर मारा था। आंत बाहर आ गई थी और काफी रक्तस्राव हुआ था। कामेश्वर राय को छपरा के अस्पताल ले जाया गया और छपरा से उसे पटना ले जाया गया। अपने जिरह में इस साक्षी ने कहा है कि घटना राम प्रवेश राय के घर के सामने हुई थी। वह राजेंद्र राय और राम प्रवेश राय को जानता है, जो सगे भाई हैं और उनके घर एक मीटर की दूरी पर हैं। उसने कहा है कि कामेश्वर राय डेढ़/दो महीने के इलाज के बाद अस्पताल से घर आया था, लेकिन घाव में कुछ जटिलताएं होने के बाद वह फिर से अस्पताल गया। बचाव पक्ष ने इस गवाह के हवाले से यह नहीं बताया कि सूचक और उत्तरवादी संख्या 2 के बीच कोई अचानक झगड़ा हुआ था।

30. बहरन राय (अ० सा० -2) गाँव अंधेरवाड़ी का एक अन्य ग्रामीण है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने *हल्लों* की आवाज सुनी और जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कामेश्वर राय और बैजनाथ सिंह के बीच कुछ कहासुनी हो रही थी, उस पर बैजनाथ सिंह ने खंजर निकाला और कामेश्वर राय पर हमला किया जिससे उन्हें तीन स्थानों पर चोटें आईं। लोग जमा हो गए और फिर परमेश्वर

राय को अस्पताल ले गए। अपनी प्रति-परीक्षण में उन्होंने कहा है कि यह घटना राम प्रवेश राय के घर के सामने हुई है। उनका घर राम प्रवेश राय के घर से दस लघु दूरी पर स्थित है। उन्होंने समझाया है कि एक लघु दस हाथों के बराबर है और उनका घर सौ हाथों की दूरी पर स्थित है। फिर से, इस गवाह के साक्ष्य से, यह प्रतीत होता है कि उत्तरवादी संख्या 2 खंजर से युक्त था और मौखिक चिल्लाहट के रूप में कुछ विवाद करते हुए, उसने खंजर निकाला और सूचनादाता पर हमला किया। इस गवाह ने घटना को देखा है।

31. अर्जुन राय (अ.सा.-3) मृतक का पुत्र है। वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी है। *फर्दबयान* में सूचक ने घटना के समय अपने पुत्र अर्जुन राय (अ.सा.-3) के साथ होने की बात कही है। अ.सा.-3 ने कहा है कि वह अपने पिता के साथ आटा चक्की से आटा पीसकर साइकिल पर रखकर पैदल आ रहा था और जब वे राम प्रवेश राय के घर के पास पहुंचे तो तरैया की ओर से बैजनाथ सिंह मोटरसाइकिल से आये। *गुलर* के पेड़ के ऊपर दोनों में कहासुनी हुई और बैजनाथ सिंह ने खंजर निकालकर अपने पिता के दाहिने कंधे पर वार किया तथा उसके बाद बायीं ओर पेट में खंजर घोंप दिया। इस प्रत्यक्षदर्शी ने अपने *गमछे* से घाव को बांधा और बैजनाथ सिंह को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन बैजनाथ सिंह ने उसे दौड़ाकर हमला किया। अ.सा.-3 ने कहा है कि वह भाग गया जिसके बाद गांव के लोग इकट्ठा हो गये। बैजनाथ सिंह अपनी मोटरसाइकिल वहीं छोड़ गये थे। इस गवाह के पिता को तरैया अस्पताल ले जाया गया जहां से उन्हें छपरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया और फिर छपरा से उन्हें पीएमसीएच रेफर कर दिया गया लेकिन उन्हें ईश्वर दयाल अस्पताल ले जाया गया जहां उनका ऑपरेशन किया गया। पीडब्लू-3 ने कहा है कि इलाज के दौरान उनके पिता की मौत हो गई। तरैया अस्पताल में उनके

पिता का बयान दर्ज किया गया, उनके बयान पर उनके पिता ने अपना हस्ताक्षर किया था। इस गवाह ने *फर्दबयान* पर भी अपना हस्ताक्षर किया था। उन्होंने *फर्दबयान* पर अपने पिता के हस्ताक्षर को प्रदर्श '1' और अपने हस्ताक्षर को प्रदर्श '1/1' के रूप में पहचाना है।

32. इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि उसका घर शीतलपट्टी गांव है। घटना अंधरवारी गांव में घटित हुई। अंधरवारी गांव में 10/12 घर हैं और घर 2-4 कदम की दूरी पर स्थित हैं। उसने कहा है कि उसके पिता पर लगभग 10/5 मिनट तक हमला किया गया। उस पर हमला नहीं किया गया और उसने बचाने का प्रयास भी नहीं किया। उसने खंजर से हमला होते देखा था। खंजर का नुकीला हिस्सा छेदा गया था। उसने अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट किया है कि राजेंद्र राय और राम प्रवेश राय का घर एक लग्गी अर्थात सात हाथ की दूरी पर स्थित है। यह ध्यान देने योग्य बात है क्योंकि *फर्दबयान* में सूचक ने कहा है कि घटना राजेंद्र राय के घर के सामने घटित हुई थी, लेकिन साक्ष्य के क्रम में यह बात सामने आई है कि राजेंद्र राय और राम प्रवेश राय दोनों भाई हैं और उनका घर एक लग्गी की दूरी पर ही स्थित है।

33. इसलिए, इस न्यायालय ने पाया है कि सूचना देने वाले का यह कथन कि घटना राजेंद्र राय के घर के सामने हुई थी, घटना के स्थान के संबंध में कोई विवाद स्थापित करने के लिए नहीं लिया जा सकता है। यह याद रखना चाहिए कि घटना दूसरे गांव में हुई थी, जहां मृतक अपने बेटे के साथ आटा पीसने गया था और राम प्रवेश राय के घर के सामने रास्ते में उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा उस पर हमला किया गया था। जांच अधिकारी ने यह भी स्थापित

किया है कि घटना का स्थान राम प्रवेश राय के घर के सामने है। दोनों भाइयों के घरों के बीच केवल सात हाथ की दूरी को देखते हुए, जो एक लग्गी के बराबर है, इसे कोई भौतिक विसंगति नहीं कहा जा सकता है।

34. यह पाया गया है कि अ० सा० -3 के प्रति-परीक्षण के दौरान, उन्हें सुझाव दिया गया था कि बैजनाथ सिंह ने भी मामला दर्ज कराया था। इस गवाह ने कहा कि उसे इसकी जानकारी नहीं थी। इसके बाद, बचाव पक्ष ने यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं किया जिससे ज्ञात हो कि बैजनाथ सिंह ने मामला दर्ज किया था। बचाव पक्ष द्वारा जो कुछ भी सिद्ध किया गया है वह एक विरोध याचिका है जिसे प्रदर्श 'डी' अंकित किया गया है।

35. बचाव पक्ष ने अ. सा.-3 को यह भी बताया कि बैजनाथ सिंह (अभियुक्त) को चोट लगी थी, लेकिन मुकदमे के दौरान बचाव पक्ष ने बैजनाथ सिंह (उत्तरवादी संख्या 2) की कोई चोट रिपोर्ट रिकॉर्ड पर नहीं लाई। इस संबंध में कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि विरोध याचिका में बैजनाथ सिंह ने दावा किया कि वह अपना इलाज कराने के लिए छपरा अस्पताल गए थे। इस प्रकार, बचाव पक्ष ने कोई ठोस साक्ष्य पेश करके यह साबित नहीं किया कि उक्त घटना में बैजनाथ सिंह को कोई चोट लगी थी। अ. सा.-3 के साक्ष्य और सूचक के फर्दबयान (प्रदर्श '2') के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वह घटना का चश्मदीद गवाह है। वह मृतक का पुत्र है। अ. सा.-1 ने भी अ. सा.-3 के अपने पिता के साथ मौजूद होने की बात कही है। अ. सा.-3 जिरह की कसौटी पर खरा उतरा है और उसके साक्ष्य में इस न्यायालय के समक्ष कोई भी भौतिक विरोधाभास नहीं दिखाया गया है। बचाव पक्ष ने अ.सा.-3 को बताया कि घटना राजेंद्र राय के घर के सामने घटित हुई थी, जबकि राम प्रवेश राय के

घर के सामने कोई घटना नहीं घटी थी। अ.सा.-3 ने इस सुझाव से इनकार किया।

36. सुरेंद्र राय (अ० सा० -4) ग्राम अंधेरवाड़ी का एक स्वतंत्र गवाह है। उन्होंने घटना के तुरंत बाद घटना स्थल पर कामेश्वर को देखा था। उन्होंने कहा है कि जब उन्होंने अपने *बथान* में *शोर* सुना और उस स्थान पर आगे बढ़े, तो उन्होंने पाया कि कामेश्वर राय के पेट के बाएं और दाएं हिस्से में खंजर की चोट लगी थी। बैजनाथ सिंह ने हमला किया था। कामेश्वर राय का पुत्र अर्जुन भाग गया था। कामेश्वर राय को अस्पताल ले जाया गया। हालाँकि, यह गवाह घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और उसने कहा है कि उसने खंजर से हमला नहीं देखा था।

37. सभा राय (अ.सा.-5) घटना का एक अन्य चश्मदीद गवाह है, जिसने बताया है कि गुल्लर के पेड़ के पैसे के संबंध में बातचीत हुई थी, इस पर बैजनाथ सिंह ने खंजर निकालकर कामेश्वर राय के *पंजारे* के बाएं हिस्से में घोंप दिया तथा दूसरी बार कंधे पर वार किया। उसने इस गवाह और अर्जुन (अ.सा.-3) का पीछा किया था। इस गवाह ने बताया कि वह शोर मचाते हुए भाग गया, जिसके बाद गांव के लोग एकत्र हो गए। उसने आरोपी को पहचान लिया। इस गवाह ने जिरह में बताया है कि वह कामेश्वर राय के गोतिया का भाई है। उसने घटनास्थल का विवरण दिया है। उसने बताया है कि दक्षिण में राम रावेश और राजेंद्र का घर है। पूरब में आटा-चक्की है। अ.सा.-4 ने बताया है कि वह चौकीदारी करता है। इस प्रकार यह गवाह घटनास्थल के संबंध में अ.सा.-3 के बयान की पुष्टि करता है। उसने बताया है कि जमीन पर खून गिरा था। उन्होंने कहा है कि उनके पहुंचने से पहले ही बैजनाथ सिंह वहां पहुंच चुके

थे। जब यह गवाह वहां पहुंचा तो देखा कि कामेश्वर राय के शरीर से खून बह रहा था, जिसके बाद वह दौड़कर *शोर* मचाने लगा।

38. सचिदानंद सिंह (पीडब्लू-6) इस मामले के जांच अधिकारी हैं। उन्होंने असीम खान द्वारा दर्ज फर्दबयान को साबित किया है। इसे प्रदर्श '2' अंकित किया गया है। उन्होंने जांच का प्रभार लिया था और 05.06.2009 को घटनास्थल पर गए थे। उन्हें बहारन राय (पीडब्लू-2) ने घटनास्थल दिखाया था। जांच अधिकारी ने घटनास्थल को राम प्रवेश राय के घर के उत्तर में *पक्की* सड़क के रूप में साबित किया है। सड़क पूरब-पश्चिम है। उन्होंने घटनास्थल का विवरण दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें कोई ध्यान देने योग्य चीज नहीं मिली। सड़क बहुत व्यस्त सड़क है। उन्होंने गवाह का बयान दर्ज किया। बाद में, उन्हें पता चला कि घायल की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई थी और उन्होंने आरोप पत्र दायर किया था।

अपने प्रति-परीक्षण में उन्होंने कहा है कि उन्होंने सीतलपट्टी में कामेश्वर राय का बयान फिर से दर्ज किया है। जब उन्होंने उस समय परमेश्वर के बयान को फिर से दर्ज किया था, तो उन्हें घाव थे, जब कुछ ठीक हो रहे थे तो वे वापस आ गए थे, लेकिन उसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई और वे फिर से पटना चले गए। उन्होंने कहा है कि इस मामले में कोई प्रतिवाद नहीं है। थाना कांड सं. 17/10 तरैया इस मामले के बाद दर्ज किया गया था। इस न्यायालय ने विरोध याचिका (प्रदर्श 'डी') से देखा है कि सूचनादाता ने परिवाद मामला संख्या 1919/09 दिनांक 12.06.2009 के आधार पर तरैया थाना में 15.03.2010 को दर्ज मामले का उल्लेख किया है।

39. इस न्यायालय ने पाया कि इस मामले में, घटना की तारीख 04.06.2009 है। यह निजी शिकायत घटना के 8 दिन बाद दायर की गई थी। इस मामले में, उत्तरवादी संख्या 2 ने कोई ऐसा सबूत नहीं पेश किया है जिससे पता चले कि उसे कोई चोट लगी है। इस प्रकार, जांच अधिकारी ने कहा है कि वर्तमान मामले का कोई प्रतिवाद नहीं था।

40. डॉ. मुनेश्वर प्रसाद सिंह (अ० सा० -7) सदर अस्पताल, छपरा में चिकित्सा अधिकारी थे जिन्होंने मृतक के शव का परीक्षण किया है। उन्हें निम्नलिखित चोटें लगी थींः

> "(i) पेट के ऊपरी हिस्से के बाईं ओर लगभग 3/4 "x 1/4" का आंशिक रूप से ठीक हुआ संक्रमित घाव जिसके आस पास की त्वचा उखड़ी हुई है।
> ((ii) एक संक्रमित घाव लगभग 1"x1" दानेदार बनाने के साथ पांच टांकों के आसपास और घाव के चारो ओर छिलका है।
> (iii) पेट घाव के किनारों पर टांके के निशान के साथ मध्य रेखा के ऊपरी भाग 6"x3" में खुला था-रेक्टस की मांसपेशियों को दानेदार और संक्रमण सामग्री के साथ घाव के माध्यम से दिखाई दे रहा था, निचले हिस्से में नीलापन।

41. अ. सा.-7 ने कामेश्वर राय को लगी चोटों के बारे में गवाही दी, जो उसने पोस्टमार्टम के दौरान देखी थी। उसने दर्ज किया है कि "घावों के संक्रमण के कारण सदमे और थकावट, पेट के घाव का खुला होना और आंत में चोट मौत का कारण थे"। उसने आगे कहा है कि सभी चोटें चूरा के कारण हो सकती हैं। उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को साबित किया है, जिस पर प्रदर्श '3' अंकित है। अपनी जिरह में अ. सा.-7 ने कहा है कि "संक्रमण के कई कारण हैं। मरीज की लापरवाही संक्रमण के कारणों में से एक हो सकती है। अगर उचित

उपचार किया जाता, तो संक्रमण की संभावना कम से कम होती। आंत में मवाद का निर्माण रुका हुआ था। मृतक की मौत संक्रमण और मवाद के निर्माण के कारण हुई थी"।

42. चिकित्सक (अ० सा० -7) के बयान से यह स्पष्ट है कि मृतक को हुए घाव में संक्रमण हो गया था और मवाद बन गया था जो घातक सिद्ध हुआ और सूचनादाता की मृत्यु हो गई। भा.दं.सं. की धारा 299 का स्पष्टीकरण 2 मामले के इस पहलू का ध्यान रखता है। यह स्पष्ट है कि मृतक की मृत्यु मृतक को लगी चोट के कारण हुई थी।

43. हमने आगे एक अन्य डॉ. सुरेंद्र प्रसाद सिंह (अ० सा० -9) के साक्ष्य को देखा है जिन्होंने रेफरल अस्पताल, तरैया में सूचनादाता की जाँच 04.06.2009 को की थी। उन्हें उसके शरीर पर निम्नलिखित चोटें मिली थीं: .

> "(1) बाईं ओर छाती के पीछे के निचले हिस्से में छाती गुहा तक 2 "x 1" गहरा घाव।
> (2) दाहिने कंधे के जोड़ पर लगभग 1 "x 1⁄2" x त्वचा की गहराई में घाव।
> चोट आरक्षित और रोगी दोनों की राय को आगे और उचित उपचार के लिए सदर अस्पताल छपरा भेजा जाता है।
> पहचान का निशान-बाईं ऊपरी भुजा पर एक तिल।

44. अ. सा.-9 ने चोट रिपोर्ट (प्रदर्श '4') को साबित कर दिया है। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उसे छाती के पिछले हिस्से के निचले हिस्से पर छाती गुहा में गहरा घाव मिला था और दाहिने कंधे के जोड़ पर भी घाव था। इस प्रकार, अभियुक्त (उत्तरवादी संख्या 2) द्वारा बार-बार चाकू से वार किए जाने की अभियोजन पक्ष की कहानी विधिवत साबित हुई है।

45. गवाहों में से एक, श्री भगवान राय (अ0 सा0 -8) को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा उनसे प्रति-परीक्षण किया गया और पुलिस के समक्ष दिए गए उनके पिछले बयान की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया। उसने अपने प्रति-परीक्षण में कहा है कि वह बैजनाथ सिंह को जानता था क्योंकि वह डाक मुंशी है लेकिन उसे घटना के बारे में पता नहीं था।

46. हमने देखा है कि अभियोजन पक्ष ने जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श '5) और शव परीक्षण प्रतिवेदन के साथ-साथ पीएमसीएच के प्रतिवेदन को भी विधिवत सिद्ध कर दिया है ताकि यह पता चल सके कि मृतक को दो बार खंजर से मारा गया था, जिसमें से एक अंततः सूचनादाता के जीवन के लिए घातक सिद्ध हुआ।

47. इस न्यायालय ने पाया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष ने घटना की तिथि, समय, स्थान और तरीके को साबित कर दिया है। अभियोजन पक्ष के गवाह विश्वसनीय हैं, वे जिरह की कसौटी पर खरे उतरे हैं। बचाव पक्ष ने, हालांकि घटना के स्थान पर सवाल उठाया है, लेकिन यह अच्छी तरह साबित हो चुका है कि राम प्रवेश और राजेंद्र भाई हैं, उनके घर एक दूसरे के बगल में हैं जो मुश्किल से एक 'लग्गी' की दूरी पर स्थित हैं। आई.ओ. ने घटना के स्थान का विवरण दिया है। गवाह इस बात पर एकमत हैं कि उत्तरवादी संख्या 2 (आपराधिक. अपील (डी.बी.) संख्या 203/2023) द्वारा सुचक पर हमला किया गया था और उसने सुचक के पेट पर बाईं ओर खंजर से वार किया था।

48. हमारे पास उत्तरवादी सं.2 का एकमात्र तर्क बचा ह कि इस मामले में सूचनादाता की मृत्यु का निकटतम कारण वास्तविक मृत्यु से संबंधित नहीं है। हम आगे उत्तरवादी सं.2 के लिए विद्वान वरीय अधिवक्ता के इस प्रस्तुतिकरण की जांच करेंगे।

49. भा.दं.सं. की धारा 299, जिस पर विद्वान विचारण न्यायालय ने निर्भरता रखी है, निम्नानुसार हैः .

> **"299. सदोषपूर्ण हत्या**–जो भी मृत्यु कारित करने के आशय से,या ऐसी चोट कारित करने के आशय से,जिससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है या यह जानते हुए कि ऐसे कार्य से मृत्यु कारित होना संभाव्य है,कोई कार्य करके मृत्यु कारित करता है,वह सदोषपूर्ण हत्या का अपराध करता है। सदोषपूर्ण
>
> दृष्टांत
>
> (क) ए एक गड्ढे पर लाठी और घास डालता है, इस आशय से कि ऐसा करने से किसी की मृत्यु हो सकती है, या इस ज्ञान के साथ कि मृत्यु होने की संभावना है। जेड, जमीन को दृढ़ मानते हुए, उस पर चलता है, गिर जाता है और मारा जाता है। ए ने गैर इरादतन हत्या का अपराध किया है।
>
> (ख) ए जानता है कि जेड झाड़ी के पीछे है। बी यह नहीं जानता। ए, जेड की मृत्यु का कारण बनने का इरादा रखता है, या यह जानते हुए कि जेड की मृत्यु होने की संभावना है, बी को झाड़ी पर गोली चलाने के लिए प्रेरित करता है। बी गोली चलाता है और जेड को मार देता है। यहाँ बी किसी अपराध का दोषी नहीं हो सकता है; लेकिन A ने सदोष मानव वध का अपराध किया है।
>
> (ग) ए, एक पक्षी को मारने और उसे चुराने के इरादे से उस पर गोली चलाता है; बी को मार देता है, जो झाड़ी के पीछे है, ए को यह नहीं पता कि वह वहाँ है। यहाँ, हालाँकि ए एक गैरकानूनी कार्य कर रहा था, वह सदोष मानव वध का दोषी नहीं था, क्योंकि उसका बी को मारने या मृत्यु का कारण

बनने का इरादा नहीं था, ऐसा कार्य करके जिसे वह जानता था कि मृत्यु का कारण बनने की संभावना है।

स्पष्टीकरण 1.–एक व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुँचाता है जो किसी विकार , बीमारी या शारीरिक दुर्बलता के तहत श्रम कर रहा है, और इस तरह उस अन्य की मृत्यु को तेज करता है, उसे उसकी मृत्यु का कारण माना जाएगा।

स्पष्टीकरण 2.–जहाँ मृत्यु शारीरिक चोट के कारण होती है, वहाँ जो व्यक्ति इस तरह की शारीरिक चोट का कारण बनता है, उसे मृत्यु का कारण माना जाएगा, हालाँकि उचित उपचार और कुशल उपचार का सहारा लेने से मृत्यु को रोका जा सकता था।

स्पष्टीकरण 3.–माँ के गर्भ में बच्चे की मृत्यु का कारण हत्या नहीं है। लेकिन यह एक जीवित बच्चे की मृत्यु का कारण बनने के लिए सदोषपूर्ण हत्या के बराबर हो सकता है, अगर उस बच्चे का कोई हिस्सा पैदा किया गया है, हालांकि बच्चे ने सांस नहीं ली है या पूरी तरह से पैदा नहीं हुआ है।

50. भा.दं.सं. की धारा 300 आरोप लगाने वाली धारा है जो 'हत्या' को परिभाषित करती है। तैयार संदर्भ के लिए धारा 300 को इसके पाँच स्पष्टीकरणों के साथ यहाँ पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः .

"300. हत्या–इसके बाद के मामलों को छोड़कर, सदोषपूर्ण हत्या है, यदि वह कृत्य जिसके द्वारा मृत्यु हुई है, मृत्यु के इरादे से किया गया है, या -

दूसरा.- यदि यह किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से किया जाता है और जिस शारीरिक चोट को पहुंचाने का इरादा है वह प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है, या-

तीसरा.- यदि यह किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से किया जाता है और जिस शारीरिक चोट को पहुंचाने का इरादा है वह मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है, या-

चौथा –यदि कृत्य करने वाला व्यक्ति जानता है कि यह इतना आसन्न रूप से खतरनाक है कि यह सभी संभावनाओं में, मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट का कारण बनता है जिससे मृत्यु होने की संभावना है, और मृत्यु या ऐसी चोट के कारण बनने का जोखिम उठाने के किसी भी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कृत्य करता है जैसा कि ऊपर कहा गया है।

दृष्टांत

(क) ए जेड को मरने के इरादे से उसपर गोली चलाता है। जेड परिणामस्वरूप मर जाता है। ए हत्या करता है।

(ख) ए, यह जानते हुए कि जेड ऐसी बीमारी से ग्रस्त है कि एक प्रहार से उसकी मृत्यु होने की संभावना है, उसे शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से मारता है। जेड प्रहार के परिणामस्वरूप मर जाता है। ए हत्या का दोषी है, हालांकि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम अनुक्रममें आघात स्वास्थ्य की अच्छी स्थिति में किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। लेकिन अगर ए, यह न जानते हुए कि जेड किसी बीमारी से ग्रस्त है, उसे ऐसा झटका देता है जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम अनुक्रममें किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य की अच्छी स्थिति में नहीं मारेगा, तो यहां ए, हालांकि वह शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा रखता है, हत्या का दोषी नहीं है, अगर उसका इरादा मृत्यु का कारण बनने का नहीं था, या ऐसी शारीरिक

चोट जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम अनुक्रममें मृत्यु का कारण बनती है।

(ग) ए जानबूझकर जेड को एक तलवार से या डंडे से ऐसा घाव देता है जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रममें एक आदमी की मृत्यु का कारण बनता है। जेड परिणामस्वरूप मर जाता है। यहाँ ए हत्या का दोषी है, हालाँकि उसका इरादा जेड की मृत्यु का कारण बनने का नहीं हो सकता है।

(घ) क बिना किसी बहाने के लोगों की भीड़ पर भरी हुई तोप चलाता है और उनमें से एक को मार देता है। क हत्या का दोषी है, यद्यपि किसी विशेष व्यक्ति को मारने की उसकी पूर्वनियोजित योजना नहीं रही होगी।

अपवाद 1.– जब सदोषपूर्ण मानव वध हत्या नहीं होती है-सदोष मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी, गंभीर और अचानक उकसावे से आत्म-नियंत्रण की शक्ति से वंचित होने के बावजूद, उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जिसने उकसावा दिया या गलती या दुर्घटना से किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है।

उपरोक्त अपवाद निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन हैः

प्रथम – यह कि किसी व्यक्ति को मारने या नुकसान पहुँचाने के बहाने के रूप में अपराधी द्वारा उकसावे की मांग या स्वेच्छा से उकसाया नहीं जाता है।

दूसरा–यह कि विधि के पालन में या ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के वैध प्रयोग में किसी लोक सेवक द्वारा की गई किसी भी चीज़ द्वारा उकसावा नहीं दिया जाता है।

तीसरा –कि उकसावा निजी रक्षा के अधिकार के वैध प्रयोग में की गई किसी भी चीज़ द्वारा नहीं दिया जाता है।

स्पष्टीकरण–क्या उकसावा इतना गंभीर और अचानक था कि अपराध को हत्या की श्रेणी में आने से रोका जा सके, यह तथ्य का प्रश्न है।

दृष्टांत

(क) ए, जेड द्वारा दिए गए उकसावे से उत्तेजित जुनून के प्रभाव में, जानबूझकर वाई जो कि जेड का बच्चा है, मार देता है। यह हत्या है, क्योंकि बच्चे द्वारा उकसावा नहीं दिया गया था, और बच्चे की मृत्यु उकसावे के कारण कोई कृत्य करने में दुर्घटना या दुर्भाग्य से नहीं हुई थी।

(ख) वाई ए को गंभीर और अचानक उकसाता है। ए, इस उकसावे पर, वाई पर पिस्तौल चलाता है, न तो उसका इरादा है और न ही वह जानता है कि वह जेड को मार सकता है, जो उसके पास है, लेकिन नज़र से बाहर है। ए जेड को मार देता है। यहाँ ए ने हत्या नहीं की है, बल्कि केवल गैर इरादतन हत्या की है।

(ग) ए को कानूनी रूप से जेड, एक आसेधक द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। ए गिरफ्तारी से अचानक और हिंसक जुनून के लिए उत्साहित होता है, और जेड को मार देता है। यह हत्या है, क्योंकि उकसावा एक लोक सेवक द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया था।

(घ) ए दंडाधिकारी जेड के समक्ष गवाह के रूप में उपस्थित होता है। जेड का कहना है कि वह ए के बयान के एक भी शब्द पर विश्वास नहीं करता है, और ए ने खुद को नुकसान पहुंचाया है। ए इन शब्दों से

अचानक जुनून में चला जाता है, और जेड को मार देता है। यह हत्या है।

(ड.) ए जेड की नाक खींचने का प्रयास करता है। जेड, निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में, उसे ऐसा करने से रोकने के लिए ए को पकड़ता है। ए को परिणामस्वरूप अचानक और हिंसक आवेश में आ जाता है, और जेड को मार देता है। यह हत्या है, क्योंकि उकसावा निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की गई चीज़ द्वारा दिया जा रहा था।

(च) जेड, बी पर हमला करता है। बी इस उकसावे से हिंसक क्रोध के लिए उत्तेजित होता है। ए, एक दर्शक, बी के क्रोध का लाभ उठाने का इरादा रखता है, और उसे जेड को मारने का कारण बनता है, उस उद्देश्य के लिए बी के हाथ में एक चाकू रखता है। बी,जेड को चाकू से मार देता है। यहाँ बी ने केवल गैर इरादतन हत्या की होगी, लेकिन ए हत्या का दोषी है।

अपवाद 2.–दोषपूर्ण मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी व्यक्ति या संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का सद्भावना से प्रयोग करते हुए, कानून द्वारा उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण करता है और उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जिसके खिलाफ वह पूर्वचिंतन के बिना और इस तरह के बचाव के उद्देश्य से आवश्यकता से अधिक अपहानि करने के इरादे के बिना प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग कर रहा है।

उदाहरण

जेड, ए को चाबुक से मारने का प्रयास करता है, लेकिन इस तरह नहीं कि ए को गंभीर चोट पहुंचे। ए पिस्तौल निकालता है। जेड हमला जारी रखता है। ए को पूरा

विश्वास है कि वह किसी और तरीके से खुद को चाबुक से नहीं बचा सकता, इसलिए वह जेड को गोली मार देता है। ए ने हत्या नहीं की है, बल्कि केवल गैर इरादतन हत्या की है।

अपवाद 3–सदोषपूर्ण मानव वध हत्या न है यदि अपराधी, एक लोक सेवक होने के नाते या लोक न्याय की उन्नति के लिए काम करने वाले लोक सेवक की सहायता करते हुए, कानून द्वारा उसे दी गई शक्तियों को पार करता है, और एक ऐसा कृत्य करके मृत्यु का कारण बनता है जिसे वह सद्भावना से, ऐसे लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य के उचित निर्वहन के लिए वैध और आवश्यक मानता है और उस व्यक्ति के प्रति दुर्भावना के बिना जिसकी मृत्यु कारित की गई है।

अपवाद 4.–सदोषपूर्ण मानव वध हत्या नहीं है यदि यह अचानक झगड़े पर जुनून की गर्मी में अचानक लड़ाई में पूर्व-चिंतन के बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से कृत्य किए बिना किया जाता है।

स्पष्टीकरण–ऐसे मामलों में यह मायने नहीं रखता कि कौन सा पक्ष उकसाने की पेशकश करता है या पहला हमला करता है।

अपवाद 5.–सदोषपूर्ण मानव वध तब हत्या नहीं है जब वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है, अठारह वर्ष से अधिक आयु का होने पर, अपनी सहमति से मृत्यु का शिकार होता है या अपनी सहमति से मृत्यु का जोखिम उठाता है।

उदाहरण

> ए, उकसाकर,, अठारह वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति जेड को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ, जेड की युवावस्था के कारण, वह अपनी मृत्यु के लिए सहमति देने में असमर्थ था; इसलिए ए ने हत्या के लिए उकसाया है।

51. भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के स्पष्टीकरण 2 के मात्र अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि जहाँ मृत्यु शारीरिक चोट के कारण होती है, वहाँ ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने वाले व्यक्ति को मृत्यु कारित करने वाला माना जाएगा, हालाँकि उचित उपचार और कुशल उपचार द्वारा मृत्यु को रोका जा सकता था। विद्वान निचली अदालत ने अन्यथा समझा है। उसने यह माना है कि सूचना देने वाले के उचित और कुशल उपचार से मृत्यु को टाला जा सकता था और घाव में संक्रमण और मवाद का बनना मृत्यु का कारण है। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान निचली अदालत ने इस बात को स्वीकार कर लिया है।

52. इसके अलावा, हम पाते हैं कि विद्वान निचली अदालत ने माना है कि यह एक गैर इरादतन हत्या है। हालाँकि, विद्वान निचली अदालत ने यह मानने में गलती की कि यह गैर इरादतन हत्या का मामला है जो हत्या के बराबर नहीं है। इस मामले में, उत्तरवादी संख्या 2 ने सूचना देने वाले पर खंजर से दो वार किए हैं। खंजर का एक वार कंधे पर लग सकता था लेकिन यह गर्दन के पास है, सौभाग्य से सूचना देने वाले के कंधे पर केवल त्वचा में गहरी चोट आई है लेकिन दूसरा वार घातक था, यह शरीर के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर लगा और इसमें ज़रा भी संदेह नहीं है कि खंजर के वार ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने के इरादे से किए गए थे जिसके बारे में

उत्तरवादी संख्या 2 जानता था कि इससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है जिसे ऐसी चोट पहुँचाई गई है और ये चोटें प्राकृतिक कारणों से मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त हैं। अपीलकर्ता का सुचक को मारने का इरादा इस बात से ज़ाहिर होता है कि उसने सुचक के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर दो बार हमला किया। सुचक के कंधे पर लगा वार शरीर के किसी भी अन्य महत्वपूर्ण हिस्से पर लग सकता था, लेकिन वह बच गया, फिर भी अपीलकर्ता नहीं रुका और उसके पेट पर दूसरा वार किया।

53. विद्वान विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को निम्नलिखित कंडिका में देखा जा सकता हैः

> "प्रस्तुत वाद में अभियुक्त द्वारा गूलर के वृक्ष के पैसों को लेकर बाता-बाती होना और इसी दौरान चाकू मरना यह संकेत देता है कि अभियुक्त को ज्ञान है कि जो कृत्या वह कर रहा है उस कृत्य से मृत्यु कारित कर सकता है ।"

54. विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय के अंतिम भाग में आगे कहा हैः

> "अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य से स्पष्ट है कि अभियुक्त यह ज्ञात रखते हुए सूचक (मृतक) के क्षति कारित की उस क्षति से उसकी मृत्यु हो सकती थी अभियुक्त के क्षति के कारण सूचक (मृतक) के जख्म में संक्रमण हुआ और संक्रमण तथा पेट में मवाद बनने के कारण सूचक(मृतक) की मृत्यु हो गयी ।"

55. विद्वान विचारण न्यायालय की यह टिप्पणी कि उचित और कुशल उपचार होता तो मृत्यु से बचा जा सकता था, अभियुक्त(उत्तरवादी सं.2) के बचाव में नहीं आ सकती।

56. उत्तरवादी सं.2 का कृत्य स्पष्ट रूप से भा.दं.सं. की धारा 300 के तहत आता है।

57. हमने ऊपर दिए गए पांच अपवादों पर ध्यान दिया है। बचाव पक्ष का यह मामला नहीं है कि सुचक पर खंजर का वार किसी अचानक और गंभीर उकसावे के कारण किया गया था। यह मामला अपवाद 1, 2, 3, 4 और 5 में से किसी के अंतर्गत नहीं आएगा। अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों ने कहा है कि सुचक और उत्तरवादी संख्या 2 के बीच शब्दों का आदान-प्रदान हुआ था जब उत्तरवादी संख्या 2 ने खंजर निकाला और सुचक पर दो बार हमला किया। यह गंभीर और अचानक उकसावे का मामला नहीं है। तथ्य यह है कि उत्तरवादी संख्या 2 अपने साथ खंजर जैसा खतरनाक हथियार लेकर जा रहा था और उसने दूसरे गांव 'अंधरवारी' में सुचक को रोका, उसे चाकू मारा और बार-बार खंजर से वार किया, इससे केवल यह साबित होता है कि आरोपी-उत्तरवादी संख्या 2 ने पूर्व-योजना बनाकर सुचक को रोका था, अपने पास मौजूद हथियार से लैस होकर, वह रुका, शब्दों का आदान-प्रदान किया, अपना खंजर निकाला, सुचक पर वार किया और भाग गया।

58. उत्तरवादी सं.2 के वरीय अधिवक्ता ने **इमरान खान** (ऊपर) के मामले में मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है, लेकिन हम पाते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय के कंडिका '11' में जो निर्णय दिया गया है, वह उत्तरवादी सं.2. के विरुद्ध जायेगा। **इमरान खान** (ऊपर) के मामले में निर्णय का कण्डिका '11' इस प्रकार हैः .

> “11. किसी कार्य को मृत्यु का कारण तब माना जाता है जब मृत्यु स्वयं कार्य से या कार्य से आवश्यक या स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाले कुछ परिणामों

से होती है, और उचित रूप से इसके परिणाम के रूप में विचार किया जाता है। जहां परिस्थितियों में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के हस्तक्षेप के बिना मृत्यु हिंसा के कार्य से कारणों और प्रभावों की एक श्रृंखला द्वारा जुड़ी हुई है, मृत्यु को कार्य का निकटतम और बहुत दूर का परिणाम नहीं माना जाना चाहिए। कारण न केवल कारण होना चाहिए बल्कि यह उचित रूप से निकटवर्ती कारण भी होना चाहिए, लेकिन आपराधिक सृजन के सिद्धांत की उचित सीमाएं हैं। चोट से मृत्यु हो सकती है। मृत्यु तात्कालिक हो सकती है या देरी हो सकती है। चोट से सदमा, अत्यधिक रक्तस्राव, कोमा, बेहोशी आदि हो सकती है और मृत्यु हो सकती है; ऐसे मामले में, चोट और मृत्यु का स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष संबंध होता है और यह पता लगाने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि मृत्यु चोट का प्रत्यक्ष परिणाम है। ऐसे मामले में निर्णय इतना आसान नहीं हो सकता है जहां मृत्यु सीधे चोट से नहीं बल्कि किसी जटिलता या विकास के कारण होती है या ऐसे मामले में जहां मृत्यु में देरी होती है या बाद में किसी जटिलता या विकास के कारण, न्यायालय को चोट, जटिलता या विकास की प्रकृति और परिचर परिस्थितियों पर विचार करना होगा। यदि जटिलता या विकास चोट का स्वाभाविक या संभावित या आवश्यक परिणाम है और यदि इसे इसके परिणाम के रूप में उचित रूप से माना जाता है, तो चोट के कारण मृत्यु होने की बात कही जा सकती है। दूसरी ओर, यदि परिणामों की श्रृंखला टूट जाती है या यदि कोई अप्रत्याशित जटिलता नई शरारत का कारण बनती है, तो कारण और प्रभाव का संबंध स्थापित नहीं होता है या कारण संबंध बहुत दूर

होता है और चोट के कारण मृत्यु नहीं हो सकती है। यदि मूल चोट स्वयं घातक प्रकृति की है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मृत्यु वास्तव में चोट से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाली जटिलता के कारण हुई है और चोट के कारण नहीं, क्योंकि कारण संबंध निकट है। "

(रेखांकन मेरे द्वारा है)

59. रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री के आधार पर, हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के तहत परिभाषित 'हत्या' का मामला साबित करने में सक्षम रहा है। विद्वान निचली अदालत ने अभियुक्त-उत्तरवादी संख्या 2 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप से बरी करने में गलती की है। यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि उत्तरवादी संख्या 2 ने पूर्व-योजना के तहत सूचना देने वाले पर हमला किया और जानबूझकर दो चोटें पहुंचाई, जिनमें से एक शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर लगी, जो सामान्य रूप से मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी।

60. अतः यह न्यायालय, सीआर अपील (डी बी) संख्या 203/2023 को स्वीकार करता है। उत्तरवादी संख्या 2 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध करने का दोषी ठहराया जाता है। उत्तरवादी संख्या 2 की दोषसिद्धि को धारा 304 भाग II से धारा 302 भा.दं.सं. में परिवर्तित किया जाता है।

61. ऊपर वर्णित कारणों से, हमें सीआर अपील (ऐ न्या) संख्या 119/2023 में कोई योग्यता नहीं दिखाई देती। अतः, सीआर अपील (ऐ न्या) संख्या 119/2023 खारिज की जाती है।

62. उत्तरवादी संख्या 2 जमानत पर है। उसका जमानत बंध पत्र रद्द किया जाता है और हिरासत में लिया जाता है। उसे फिलहाल बेउर जेल भेजा जाएगा।

63. उत्तरवादी संख्या 2 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना के अनुसार, रिकॉर्ड परसों यानी 07.05.2025 को सजा पर सुनवाई के लिए रखे जाते हैं। उत्तरवादी संख्या 2 को सजा पर सुनवाई के समय 07.05.2025 को इस न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।

(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायमूर्ति)

(अशोक कुमार पांडे, न्यायमूर्ति)

अरविंद/सुषमा2 -

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।